बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ00सं0-जी0बी0डी0-08-20-123/2012.....16..... पटना, दिनांक-....24.2.2020...

‘कार्यालय आदेश’

विभाग के द्वारा विभिन्न विभागों एवं संलग्न कार्यालयों के अनुरोध पर भवन/स्थल आवंटित किया जाता है। विभागों के अतिरिक्त विभिन्न सोसाईटी, प्राधिकार, आयोग, न्यायाधिकरण के अनुरोध पर भी आवास/स्थल आवंटित किया जाता है। जिसका किराया नहीं लिया जाता है।

अतः विभागों के अतिरिक्त उनके संलग्न कार्यालय(सोसाईटी, प्राधिकार, आयोग, न्यायाधिकरण) को आवंटित कार्यालय प्रयोग हेतु सुसज्जित एवं गैर सुसज्जित भवनों के विरूद्ध सरकारी आवासीय भवनों के मानक किराया से भिन्न मानक किराया के निर्धारण का निर्णय लिया गया है।

मानक किराया के निर्धारण हेतु विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्न रूपेण किया जाता है:-

1. विशेष सचिव(भू-सम्पदा के वरीय प्रभारी), भवन निर्माण विभाग, पटना - अध्यक्ष
2. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त, भवन निर्माण विभाग, पटना - सदस्य
3. निदेशक अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, पटना - सदस्य
4. उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, पटना - सदस्य
5, कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना - सदस्य

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

20/2/20

(विनय कुमार)
उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांकः-जी0बी0डी0-8-20-123/2012 1634(अ)पटना, दिनांकः- 24.2.2020

प्रतिलिपिः-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/विशेष सचिव(भू-सम्पदा के वरीय प्रभारी)/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त/मुख्य अभियंता, विद्युत भवन निर्माण विभाग/निदेशक अनुश्रवण/उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी /कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल/पटना स्थित सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पटना /कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू), पटना/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी. पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, भू-सम्पदा शाखा/आई.टी.मैनेजर, एवं कनीय अभियंता, ई-निवास, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/2/20

उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

20/2/20

D: Seema/karyalay Adesh/ 86